


उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: 245/VII-A-2/2020/40-सिडकुल/2014
देहरादून, दिनांक: 16 मार्च, 2020

अधिसूचना

राज्य के औद्योगिक विकास विभाग में प्रचलित मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014 यथा संशोधन-2019 (जिसे आगे मूल पॉलिसी कहा गया है) के स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर 9(1), 9(4), 9(5) तथा 9(8) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रस्तर को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हुए, स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर 9(2) तथा प्रस्तर-10 को विलोपित किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में प्रतिस्थापित प्राविधानों को लागू किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त "मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी-2014 यथा संशोधन-2019 (संशोधन-2020)" कहलायेगी तथा यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायेगी।
संलग्नक-परिशिष्ट-1



(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 245 (1) / VII-A-2 / 2020 / 40-सिडकुल / 2014, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल।

7. महानिदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
9. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाइल।



(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।

परिशिष्ट-1

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान प्राविधान	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
प्रस्तर 9(1) Scheme Period:- आगामी 07 वर्ष यथा 31 मार्च, 2021 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयां।	प्रस्तर 9(1) योजना की वैधता अवधि: यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रवृत्त रहेगी।
प्रस्तर 9(2) State Capital Subsidy:- केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम रू. 50.00 लाख तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम रू. 30.00 लाख की छूट टैक्सटाइल उद्यमियों को दी जायेगी।	प्रस्तर 9(2) State Capital Subsidy:- विलोपित कर दिया गया है चूंकि भारत सरकार की पूर्व योजना समाप्त हो चुकी है।
प्रस्तर 9(4) VAT Concession:- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक कच्चे माल (Raw Material) पैकिंग मैटेरियल क्रय तथा तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत Vat की विशेष छूट दी जायेगी।	<p>प्रस्तर 9(4) मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी-2014 के अन्तर्गत स्थापित मेगा उद्योगों को माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी) अधिनियम के अन्तर्गत एस. जी.एस.टी. के रूप में देय कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी:</p> <p>“टैक्सटाइल मेगा प्रोजेक्ट्स को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से आगामी 7 वर्षों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय किया गया हो, की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता।”</p> <p><u>स्पष्टीकरण:</u> माल एवं सेवा कर अधिनियम के</p>

	<p>अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।</p>
<p>प्रस्तर 9(5): Power Assistance/Power Bill Rebate: उत्तराखण्ड राज्य द्वारा टैक्सटाइल उद्यमियों हेतु उत्पादन आगामी 07 वर्षों हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं रू0 1.00 प्रति यूनिट के दर से छूट दी जायेगी। इलैक्ट्रिक ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 07 वर्षों के लिए दी जायेगी।</p>	<p>प्रस्तर 9(5): विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता: उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू0 1.00 प्रति यूनिट की दर से निम्नानुसार नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रू0 75 करोड़ से रू0 200 करोड़ तक पूंजी निवेश की परियोजनायें- अधिकतम रू0 75 लाख प्रतिवर्ष। 2. रू0 200 करोड़ से रू0 400 करोड़ तक पूंजी निवेश की परियोजनायें- अधिकतम रू0 1 करोड़ प्रतिवर्ष। 3. रू0 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनायें- अधिकतम रू0 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष। <p>स्पष्टीकरण: उक्त नीति में संशोधन जारी होने से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के मेगा टैक्सटाइल उद्योगों को पूर्ववत् विद्युत प्रतिपूर्ति</p>

	<p>सहायता का लाभ अनुमन्य अवधि तक मिलता रहेगा।</p> <p>इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: नीति में संशोधन जारी होने के दिनांक से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के "मेगा टैक्सटाईल" उद्योगों को उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति पूर्ववत की जाती रहेगी, किन्तु इस संशोधन के जारी होने की तिथि के पश्चात उत्पादन में आने वाले नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण के टैक्सटाईल उद्योगों को Electricity Duty में छूट अनुमन्य नहीं होगी।</p>
<p>प्रस्तर 9(8) CST:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को तैयार माल विक्रय पर 100 प्रतिशत CST की छूट दी जायेगी।</p>	<p>प्रस्तर 9(8): 1 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था प्रचलन में आने के फलस्वरूप नीति में प्रदत्त केन्द्रीय बिक्री कर (CST) से छूट की सुविधा दिनांक 1 जुलाई, 2017 के पश्चात अनुमन्य नहीं होगी।</p>
<p>प्रस्तर 10:- उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिए GST या किसी भी अन्य तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तर 10:- विलोपित।</p>


 (मनीषा पंवार)
 प्रमुख सचिव

